न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़

(प्रथम अपील अधिकारी अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005)

पीठासीन अधिकारी : कल्पना अग्रवाल, आई.ए.एस.

प्र.सं. 05/2023

जी.सी.एस.एस. नं. : 2023/15

सोहन सिंह पुत्र भगवान सिंह, जाति रायसिख निवासी वार्ड नं. 7 रायसिंहनगर

–अपीलार्थी

बनाम

तहसीलदार रायसिंहनगर

–प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 17.11.2023

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपील प्रकरण न्यायालय जिला कलक्टर श्रीगंगानगर से हस्तांतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त होने पर अपील दर्ज रजिस्टर की गई। अपीलार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया गया हैं कि रायसिंहनगर पालिका क्षेत्र में कृषि भूमि का बिना रूपान्तरण करवाये अवैध कालोनियां काटे जाने के मामले में प्रशासन संबंधित जमीनों के खातेदारों के नाम सार्वजनिक किये गये की सूचना अखबार में प्रेषित की गई उन खातेदारों के नाम 3 प्रतियों में प्रमाणित, धारा 177 के तहत संबंधित खातेदारों को नोटिस जारी किये गये उन नोटिसों की 3 प्रतियों में प्रमाणित प्रति, जिन जिन कालोनियों में चेतावनी (होर्डिंग) बोर्ड लगाये गये है, उन कालोनियों के नाम की तीन प्रतियों में प्रमाणित प्रति दी जावे। परन्तु तहसील द्वारा अवैध कॉलोनियों को अपनी निजी प्रोपर्टी समझ रखी हैं। किसी प्रकार का जवाब नहीं दिया गया। अधिकारी कानून की पालना नहीं कर सरकार को राजस्व नुकसान पंहुचा रहे हैं।

प्रकरण में तहसीलदार रायसिंहनगर से प्राप्त टिप्पणी क्रमांक/राजस्व/2023/1293 दिनांक 18.07.2023 एवं 902 दिनांक 16.05.2023 के अनुसार "आवेदक श्री सोहन सिंह पुत्र भगवान सिंह वार्ड नं. 7 रायसिंहनगर आरटीआई आवेदन पत्र दिनांक 20.02.2023 प्राप्ति दिनांक 23.02.2023 द्वारा चाही गई सूचनाएं उपखण्ड न्यायालय से संबंधित होने के कारण आवेदन पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के तहत उपखण्ड कार्यालय रायसिंहनगर में हस्तांतरित कर प्रार्थी को कार्यालय के पत्र क्रमांक/राजस्व/2023/649 दिनांक 14.03.2023 द्वारा सूचित कर दिया गया हैं।"

पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी/आवेदक द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(1) का आवेदन पत्र दिनांक 20.02.2023 तहसीलदार रायसिंहनगर को प्रस्तुत कर सूचनाएं उपलब्ध करवाए जाने हेतु निवेदन किया। तहसीलदार रायसिंहनगर के द्वारा अपने पत्र क्रमांक/राजस्व/2023/648 दिनांक दिनांक 14.03.2023 के द्वारा आरटीआई आवेदन को उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर को सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के तहत हस्तांतरित कर आवेदक/अपीलार्थी सोहन सिंह को पत्र क्रमांक 649 दिनांक 14.03.2023 द्वारा सूचित किया गया।

चूंकि लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार रायसिंहनगर द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदन पत्र को उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर को हस्तांतरित कर आवेदक को सूचित कर दिया था। इसलिए तहसीलदार रायसिंहनगर के विरूद्ध अपील का कोई आधार नहीं हैं, अपील सारहीन होने के कारण खारिज की जानी उचित हैं।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpana Agrawal
Date: 2024.01.06 14:24:47 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
अनूपगढ़

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी खारिज की जाती हैं। निर्णय की प्रति तहसीलदार रायसिंहनगर को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 17.11.2023 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कल्पना अग्रवाल)
I.A.S
जिला कलक्टर
अनूपगढ़

जिला कलक्टर
अनूपगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpana Agrawal
Date: 2024.01.06 14:24:47 IST
Reason: SelfAttested